कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/ दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), किशनगंज
जिला– किशनगंज

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, किशनगंज के जनवरी 2011 से मार्च 2017 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 304/17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

–ह०–
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0/एस.एस.–1/श0स्था0नि0/14682/150 दिनांक– 31.07.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, किशनगंज

पटना 31/7/17

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–304/17–18
प्रस्तावना
भाग–I

1	कार्यालय का नाम	कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, किशनगंज
2	मुख्य अभियन्ता का नाम एवं पता	श्री सुधीर कुमार दास, शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
3	अधीक्षण अभियन्ता का नाम एवं पता	श्री सुरेन्द्र तिवारी, शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
4	कार्यपालक अभियन्ता का नाम एवं पता	श्री उपेन्द कुमार, जिला शहरी विकास अभिकरण, किशनगंज
5	लेखा की अवधि	जनवरी/2011 से मार्च/2017 तक
6	लेखा परीक्षा की अवधि	दिनांक 11.04.2017 से 22.04.2017 तक
7	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	अभिकरण के माह 01/2011 से माह 03/2017 तक के लेखाओं की नमूना जॉच की गयी। माह 09/2013, एवं 09/2015 के लेखाओं की विस्तृत जॉच एवं माह 12/2014 एवं 09/2016 के लेखाओं की अंकगणितीय जॉच की गयी। उक्त अवधि के लिए स्थापना से संबंधित अभिलेखों की भी जॉच की गयी।
8	लेखा परीक्षा दल के सदस्यगण	श्री उदय नाथ ठाकुर, ले0प0अ0 श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल, स0ले0प0अ0 श्री अमर नाथ कुमार स0ले0प0अ0 श्री धर्मेन्द्र कुमार, व0ले0प0
9	क्या कार्यपालक अभियन्ता के साथ विचार– विमर्श हुआ	हाँ

दावा अस्वीकरण प्रमाणपत्र
DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, किशनगंज द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग–II

खण्ड–क– शून्य

खण्ड–ख

कंडिका –1 परिहार्य व्यय रु0 10.09 लाख

कार्य का नाम– किशनगंज के सतयिट्ठा मुस्लिम हरिजन टोला, मझिया रोड, स्लम एरिया का कार्य

संवेदक का नाम– श्री कन्हैया लाल महतो

प्रशासनिक स्वीकृति– ₹ 8636300

तकनीकी स्वीकृति– ₹ 8225022

प्राक्कलित राशि– ₹ 8225022

एकरारनामा राशि– ₹ 8225022

Support Program for Urban Reforms (SPUR) , also known as Samvardhan, a program of Government of Bihar supported by DFID covered 28 towns in the state. The SPUR has the overall goal of economic growth and poverty eradication significantly accelerated in the state by 2014. In Kishanganj out of 145 slums 2 slums were selected as Lead Slums. Satbhitta Muslim Harijan Tola is one of these two slums. In process of Micro planning as per para no. 5.6 The overall experience of microplanning in Rehakani Tola slum has been very enriching as the councillor, Junior Engineer of Municipal council, on one side and the community, particularly the women, on the other, have come together to plan together at this stage of the program. The women, mostly illiterate, have put their mind together to draw useful maps of their lanes. This has to be maintained and built upon through further action on the microplan generated through collective effort of everybody involved in the process.

सितम्बर 2011 के स्पर के डी.पी.आर. का अनुमानित लागत रू. 5458848 था और उसमें यह उल्लेख किया गया था कि Government of Bihar has aimed to make all the urban towns slum free. DFID supported Support Program for Urban Reforms in Bihar is acting as catalyst for achieving the goal of the state government. Apart from alleviation of poverty from urban towns, providing basic amenities and infrastructure facilities like water supply, sanitation, drain, road and street lights in the slums were the main component of the program.

सारांश शीट में सभी अवयव शामिल किये गये थे और यह भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार के दिनांक 15.06.2011 की अनुसूची दर पर आधारित था।

उपरोक्त डी.पी.आर कुछ संशोधन के साथ कार्यपालक अभियंता, डूडा, किशनगंज के द्वारा हस्ताक्षरित (15.02.2012) अग्रसारित किया गया, परिणामस्वरूप लागत ₹ 1758052 से बढकर ₹ 7216900 हो गया।

दिनांक 26.03.2012 को बूडा द्वारा ₹7216000 की तकनीकी स्वीकृति दी गई जिसमें सभी अवयव के साथ स्ट्रीट लाइट एवं पम्प भी शामिल था।

तकनीकि स्वीकृति के बाद भी कार्य सम्पादित कराने हेतु टेंडर इत्यादि की प्रकिया नहीं शुरू की गई। पुनः दिनांक 03.11.2012 को जब जुलाई 2012 से नया अनुसूचित दर लागू हो गया, एक प्रतिवेदन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के द्वारा तैयार किया गया जिसके कारण लागत ₹1107212 से बढकर ₹8324110 हो गया (यद्यपि मदवार सारांश में ₹8549460 दर्शाया गया) जिसमें स्ट्रीट लाइट और पंप के पुराने दर को ही रखा गया जो कमशः ₹130112 एवं ₹185968 थी।

इस प्राक्कलन को आकस्मिक व्यय एवं सेन्टेज चार्ज ₹8549460 के साथ ₹8977000 की तकनीकी स्वीकृति बूडा द्वारा दिनांक 08.11.2012 को दी गई। पुनः, स्ट्रीट लाइट एवं पंप के मद को छोड़कर एक प्राक्कलन कनीय अभियंता डूडा किशनगंज द्वारा तैयार किया गया और अंततः, अधीक्षण अभियंता द्वारा दिनांक 21.01.2013 को अनुमोदित किया गया (पत्रांक 23 दिनांक 21.01.2013) जिसमें ₹8636300 की तकनीकी स्वीकृति (आकस्मिक व्यय एवं सेन्टेज चार्ज को छोड़कर ₹8225022) संसूचित की गई जिसमें स्ट्रीट लाइट एवं पंप के कार्य को छोड़ दिया गया था। तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्रवाई शुरू की गई एवं कार्य पूर्ण कराया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित तथ्यों का कारण पूछा गया–

सारांश शीट में अंतर (₹8324110 एवं ₹8549460) पाया जाना।

दिनांक 26.03.2012 के तुरंत बाद निविदा की प्रकिया प्रारंभ नहीं किया जाना।

स्ट्रीट लाइट एवं पंप के कार्य को नहीं लिया जाना।

इस योजना की विफलता क्यों न मानी जाय क्योंकि लाभुकों को सुरक्षित पीने का पानी एवं प्रकाश जैसी–बुनियादी सुविधाएँ नहीं मिल पायी जिसका विकल्प डी.पी.आर. के अनुसार लाभुकों के पास नहीं था।

दिनांक 15.06.2011 से प्रभावी अनुसूची दर पर आधारित डी.पी.आर ₹5458848 किसके द्वारा तैयार किया गया था। इसे क्यों नहीं लागू किया जा सका, इसे पुर्नरीक्षित करने की क्या आवश्यकता थी जिसके परिणामस्वरूप लागत ₹1758052 से बढकर ₹7216900 हो गया जो कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 15.02.2012 द्वारा हस्ताक्षरित था।

इस प्राक्कलन को भी क्यों लागू नहीं किया जा सका और इसे पुनः 8977000 की लागत पर पुर्नरीक्षित किया गया।

पुनः प्राक्कलन में संशोधन करते हुए ₹316080 का स्ट्रीट लाइट एवं पंप को छोड़ते हुए ₹8636300 का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया (दिनांक 21.02.2013)। यह आपत्ति किए जाने पर कि ₹1009022 (8225022–7216000) को क्यों न परिहार्य व्यय माना जाए।

उत्तर में बताया गया कि

(1) राशि का अंतर अंकगणितीय भूल के कारण हुआ है

(2) दिनांक 26.03.12 को तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्राक्कलन को पुनरीक्षित किया गया तत्पश्चात डूडा से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किया गया जिसके कारण दिनांक 26.03.12 के तुरंत बाद निविदा प्रकिया प्रारम्भ नही की जा सकी।

(3) दर निर्धारण नहीं होने के कारण Solar Light और Hand pump को प्राक्कलन से हटा दिया गया।

(4) ₹ 54,58,848.00 का प्रथम DPR SPUR द्वारा तैयार किया गया।

(5) DPR को Specification एवं ढुलाई भाड़ा में परिवर्तन करते हुए पुनः DPR तैयार किया गया परिणामस्वरूप ₹ 17,58,052.00 रूपये की बढ़ोत्तरी हुई।

(6) पुनः प्राक्कलन को Revised करने के कारण तकनीकी अनुमोदन की आवश्यकता थी परिणाम स्वरूप निविदा आमंत्रित नहीं की जा सकी।

(7) Solar Light और Hand pump की अनुसूचित दर ज्ञात नहीं होने के कारण प्राक्कलन से हटा दिया गया था।

जवाब मान्य नहीं है। जब मार्च 2012 में ही विशिष्टियॉ ढुलाई दर इत्यादि सुधार लिया गया था तब बूडा से तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद पुन; इसमें सुधार करना तथा अन्तत; सोलर लाईट तथा हैंड पंप का अधिष्ठापन नहीं करना विभागीय लापरवाही या मनमानी दर्शाता है जिसके कारण सरकार पर ₹10.09 लाख (सोलर लाईट और हैंड पंप का कार्य छोड़कर) का वित्तीय बोझ बढा तथा सरकार का उद्देश्य पूर्णतः पूरा नहीं हो सका। विभागीय स्तर से मंतव्य अपेक्षित है।

कंडिका –2

परिहार्य व्यय ₹ 11.04 लाख

कार्य का नाम– रेहकानी टोला करबला रोड किशनगंज में स्लम एरिया का कार्य
संवेदक का नाम– श्री कन्हैया लाल महतो
प्रशासनिक स्वीकृति– ₹ 7744000/–
तकनीकी स्वीकृति– ₹ 7344300/–
प्राक्कलित राशि– ₹ 7744000/–

Support Program for Urban Reforms (SPUR), also known as Samvardhan, a program of Government of Bihar supported by DFID covering 28 towns in the state. The SPUR has the overall goal of economic growth and poverty reduction significantly accelerated in the state by 2014. In Kishanganj out of 145 slums 2 slums were selected as Lead Slums. Rekhani Tola is one of these two slums

In process of Micro planning as per para no. 5.6 The overall experience of microplanning in Rehakani Tola slum has been very enriching as the councillor, Junior Engineer of Municipal council, on one side and the community, particularly the women , on the other, have come together to plan together at this stage of the program. The women, mostly illiterate, have put their mind together to draw useful maps of their lanes. This has to be maintained and built upon through further action on the microplan generated through collective effort of everybody involved in the process.

सितम्बर 2011 के स्पर के डी.पी.आर. का अनुमानित लागत ₹ 5632772 था और उसमें यह उल्लेख किया गया था कि Government of Bihar has aimed to make all the urban towns slum free. DFID supported Support Program for Urban Reforms in Bihar is acting as catalyst for achieving the goal of the state government. Apart from alleviation of poverty from urban towns, providing basic amenities and

infrastructure facilities like water supply, sanitation, drain, road and street lights in the slums were the main component of the program.

सारांश शीट में सभी अवयव शामिल किये गये थे और यह भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार के दिनांक 15.06.2011 के अनुसूचित दर पर आधारित था।

उपरोक्त डी.पी.आर कुछ संशोधन के साथ कार्यपालक अभियंता, डूडा, किशनगंज के द्वारा हस्ताक्षरित (15. 02.2012) अग्रसारित किया गया परिणामस्वरूप लागत ₹ 607228 से बढकर ₹ 6240000 हो गया।

दिनांक 21.03.2012 को डूडा द्वारा ₹7216000 की तकनीकी स्वीकृति दी गई जिसमें सभी अवयव के साथ स्ट्रीट लाइट एवं पम्प भी शामिल था।

तकनीकी स्वीकृति के बाद भी कार्य सम्पादित कराने हेतु टेंडर इत्यादि की प्रकिया नहीं शुरू की गई।

पुनः दिनांक 03.11.2012 को जब जुलाई 2012 से नया अनुसूची दर लागू हो गया, एक प्रतिवेदन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के द्वारा तैयार किया गया जिसके कारण लागत ₹884926 से बढकर ₹ 7125183 हो गया जिसमें स्ट्रीट लाइट और पंप के पुराने दर को ही रखा गया जो क्रमशः ₹ 195168 एवं ₹ 185968 थी।

इस प्राक्कलन को ₹ 7744000 की तकनीकी स्वीकृति डूडा द्वारा दिनांक 08.11.2012 को दी गई।

पुनः स्ट्रीट लाइट एवं पंप के मद को छोड़कर एक प्राक्कलन कनीय अभियंता डूडा किशनगंज द्वारा तैयार किया गया और अंततः, अधीक्षण अभियंता द्वारा दिनांक 21.01.2013 को अनुमोदित किया गया (पत्रांक 22 दिनांक 21.01.2013) जिसमें ₹ 7344300 की तकनीकी स्वीकृति (आकस्मिक व्यय एवं सेन्टेज चार्ज को छोड़कर ₹ 6994590) संसूचित की गई जिसमें स्ट्रीट लाइट एवं पंप के कार्य को छोड़ दिया गया था। तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्रवाई शुरू की गई एवं कार्य पूर्ण कराया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित तथ्यों का कारण पूछा गया–

दिनांक 21.03.2012 के तुरंत बाद निविदा की प्रकिया प्रारंभ नहीं किया जाना

स्ट्रीट लाइट पंप के कार्य को नहीं लिया जाना

इस योजना को विफल क्यों न समझा जाए यदि लाभुकों को सुरक्षित पीने का पानी एवं प्रकाश जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिल पायी जिसका विकल्प डी.पी.आर. के अनुसार लाभुकों के पास नहीं था।

दिनांक 15.06.2011 से प्रभावी अनुसूची दर पर आधारित डी.पी.आर. ₹ 5632772 किसके द्वारा तैयार किया गया था। इसे क्यों नहीं लागू किया जा सका, इसे पुर्नरीक्षित करने की क्या आवश्यकता थी जिसके परिणामस्वरूप लागत ₹ 607228 से बढकर 6240000 हो गया जो कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 15. 02.2012 द्वारा हस्ताक्षरित था।

इस प्राक्कलन को भी क्यों लागू नहीं किया जा सका और इसे पुनः ₹ 7744000 की लागत पर पुर्नरीक्षित किया गया।

पुनः प्राक्कलन में संशोधन करते हुए स्ट्रीट लाइट एवं पंप को छोड़ते हुए ₹ 7344300 का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया (दिनांक 21.02.2013)। क्यों न ₹ 1104300 (7344300– 6240000) को परिहार्य व्यय माना जाय।

उत्तर में बताया गया कि दिनांक 26.03.12 को तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्राक्कलन को पुनरीक्षित किया गया तत्पश्चात डूडा से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किया गया जिसके कारण दिनांक 26. 03.12 के तुरंत बाद निविदा प्रकिया प्रारम्भ नही की जा सकी। दर निर्धारण नही होने के कारण Solar Light और Hand pump को प्राक्कलन से हटा दिया गया। ₹ 56,32,772.00 का प्रथम DPR SPUR द्वारा तैयार किया गया। DPR को Specification एवं ढुलाई भाड़ा में परिवर्तन करतें हुए पुनः DPR तैयार किया गया परिणाम स्वरूप ₹ 6,07,22.08.00 रूपये की बढ़ोतरी हुई। पुनः प्राक्कलन को Revised करने के कारण तकनीकी अनुमोदन की आवश्यकता थी परिणाम स्वरूप निविदा आमंत्रित नही की जा सकी। Solar Light और Hand pump की अनुसूचित दर ज्ञात नही होने के कारण प्राक्कलन से इसे हटाया गया था।

जवाब मान्य नहीं है। जब मार्च 2012 में ही विशिटिष्यॉ ढुलाई दर इत्यादि सुधार लिया गया था तब डूडा से तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद पुन; इसमें सुधार करना तथा अन्तत; सोलर लाईट तथा हैंड पंप का अधिष्ठापन नहीं करना विभागीय लापरवाही या मनमानी दर्शाता है जिसके कारण सरकार पर ₹ 11.04 लाख का वित्तीय बोझ बढा तथा सरकार का उदेश्य भी पूर्णत; पूरा नहीं हो सका। विभागीय स्तर से मंतव्य अपेक्षित है।

कंडिका –3

कार्य का नाम– ठाकुरगंज नगर पंचायत अन्तर्गत एस एच 63 जिलेबिया मोड से उच्च विद्यालय ठाकुरगंज द्वार तक कालिकरण सडक निर्माण कार्य
संवेदक का नाम– राजेश रौशन कुमार
प्रशासनिक स्वीकृति– ₹ 3838500/–
तकनीकी स्वीकृति– ₹ 3838500
प्राक्कलित राशि– ₹ 3838500/–
उपरोक्त कार्य के अभिलेखों के समीक्षा में निम्नलिखित अनियमितता पायी गई–

(1) <u>अधिक भुगतान रु0 224151/–</u>

कार्य के प्राक्कलन एवं मापी पुस्त के अनुसार Prime coat, tack coat, premix carpet and seal coat का कार्य 4434.75 वर्ग मीटर में कराया जाना था एवं कराया गया। नियमानुसार विटुमिन एवं इमल्सन की आपूर्ति कार्य स्थल पर होने के बाद कार्यपालक अभियंता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए तथा इनभाइस/चालान को सत्यापित किया जाना चाहिए। इस कार्य से संबंधित संचिका में पाया गया कि विटुमिन 9.07 मी0टन एवं इमल्सन 3.54 मी0टन के लिए कार्यालय द्वारा आपूर्ति आदेश पत्र सं0 271 दिनांक 3.7.2015 को निर्गत किया गया। आगे जॉच में पाया गया कि Indian Oil Corporation Limited के बरौनी शाखा द्वारा केवल 9.048 मी0टन बिटुमिन का आपूर्ति किया गया यद्यपि इनभाइस का सत्यापन कार्यपालक अभियंता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया। इमल्सन के आपूर्ति का कोई इनभायस संचिका में नहीं पाया गया। परिणामस्वरुप लेखा परीक्षा को मानना है कि इमल्सन का प्रयोग नहीं किया गया तथा बिटुमिन का प्रयोग सडक निर्माण विभाग द्वारा जारी अनुसूचित दर में निधारित मात्रा से 0.442 मी0टन कम किया गया परिणामस्वरुप कार्य अवमानक हुआ। विवरण निम्नवत है–

कार्य का नाम	कार्य की मात्रा (घनमी0)	मात्रा की दर	वांछित मात्रा	आपूर्ति की मात्रा	मात्रा में अन्तर	अधिक भुगतान
Prime coat	4434.75	0.6किग्रा / वर्गमी0	2660.85	0	3.547 मी0टन	152023+16550(carriage)
tack coat	4434.75	0.2किग्रा / वर्गमी0	886.95			54547
premix carpet	4434.75	14.60 किग्रा /10 वर्गमी0	6474.7	9.048	9.07– 9.048 = 0.022	22 ×44.28 = 974+(22x2.59)=1031
seal coat	4434.75	6.80 किग्रा /10 वर्गमी0	3015.6			
					कुल	224151/–

(2) समयवृद्धि की कटौती नही राशि रू 65803.00

अभिलेख की जॉच में पाया गया कि कार्यारंभ की तिथि 4.6.2015 तथा योजना कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि तीन माह थी। अर्थात कार्य 3.9.2015 तक समाप्त हो जाना चाहिए था परन्तु कार्य की अतिम मापी दिनांक 7.9.2015 को की गई थी। इस प्रकार कार्य 4 दिन विलम्ब से समाप्त हुआ। F2 agreement के अनुसार 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन के दर से 4 दिनों के लिए एकरारित राशि रु0 3290174/– का 2 प्रतिशत रु0 65803 संवेदक से वसूल किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त के जवाब में बताया गया कि (1)Bitumin/Emulsion की प्रति खोज कर लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित कर दिया जायेगा। (2) माननीय विधायक द्वारा शिलान्यास 4.06.2015 को किया गया परन्तु कार्य का एकरारनामा 16.06.15 के उपरान्त कार्य आरम्भ किया गया।
जवाब मान्य नहीं है। विटूमिन आपूर्ति की प्रति संचिका में संलग्न थी तथा कम मात्रा की थी एवं इमल्सन का चालान/आपूर्ति की प्रति संचिका में संलग्न नहीं थी। अत; जॉचोपरांत वसूली अपेक्षित है।

कंडिका–4

फसादी चौक से रामचढ़ भैरो दह जाने वाली सड़क मे पी.सी.सी निर्माण कार्य की समीक्षा

योजना का नाम	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना
एकरारनामा संख्या	07- F2./2016-17
एकरारनामा की तिथि	28.05.2016
एकरारनामा की राशि	31,12,094.00 परिमाण विपत्र से 10.00 प्रतिशत कम पर
कार्य आरम्भ की तिथि	28.05.2016
कार्य समाप्ति की तिथि	27.08.2016 (3 माह)
संवेदक का नाम	M/s Rajesh Roshan Kumar, Dharmganj, Kishanganj
Rigid pavement	757 meter length
अद्यतन भुगतान	मापी पुस्त संख्या 81 पृष्ठ संख्या–6/7 रू 31,12,093.00

(1) अनियमित भुगतान ₹ 2.34 लाख

कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, किशनगंज द्वारा इस योजना से संबंधित अभिलेखों के नमूना जांच के क्रम में पाया गया कि संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार उक्त सड़क की कुल लम्बाई 1200 मीटर थी जिसमें से 500 मीटर सड़क का निर्माण नगर पंचायत बहादुरगंज के द्वारा ISDP योजनान्तर्गत निविदा करवाये जाने की बात कही गयी है तथा शेष 700 मीटर लम्बाई में पी.सी.सी. निर्माण का कार्य DUDA किशनगंज द्वारा कराया जाना प्रस्तावित था। नमूना जांच में पाया गया कि उक्त पथ का विस्तृत विवरण प्राक्कलन एवं परिमाण विपत्र 700 मीटर की बजाय 757 मीटर का बनाया गया तथा उसी के अनुसार कार्य कराया गया और भुगतान भी किया गया।

इस प्रकार उक्त सड़क का निर्माण वास्तविक प्रस्तावित लम्बाई 700 मीटर से 57 मीटर अधिक में कराया गया जिसके कारण उक्त सड़क पर कुल व्यय 31,12,093.00/757 मीटर X 57 मीटर = 2,34,332.00 रू0. का किया गया व्यय अनियमित था । लेखापरीक्षा द्वारा पृच्छा की गई कि प्रस्तावित लग्बाई से ज्यादा में उक्त सड़क का निर्माण क्यों कराया गया ?

(2) ढुलाई पर अनियमित भुगतान रू0 14.96 लाख

बिहार लघु खनिज समुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के प्रावधानानुसार अवैध खनन को रोकने हेतु एवं लघु खनिज के ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु संवेदको से प्रपत्र एम तथा एन तथा चालान की प्रति लिया जाता है। चालानों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही ढुलाई मद मे भुगतान किया जाना है।

अभिकरण कार्यालय द्वारा सरकार के उपरोक्त प्रावधानो की अवहेलना करते हुए संवेदक से प्रपत्र एम तथा एन एवं चालान की प्रति लिये बगैर सिर्फ रॉयल्टी की कटौती कर विपत्रों का भुगतान कर दिया गया। इससे खनिजों की ढुलाई प्राक्कलन में वास्तव में प्रावधानित खदानों/स्थलों से ही किया गया है। इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इससे अवैध खनन को बढ़ावा दिये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ढुलाई मद में किया गया भुगतान अनियमित है। विवरण इस प्रकार है:–

समाग्री	मात्रा	ढुलाई दर	राशि (रू0)
स्टोन चिप्स	759.78 m^3	2024.02/ m^3	1537810.00
कोर्स बालू	153.38 m^3	810..26/m^3	124278.00
योग			1662088.00
10 प्रतिशत कम			166209.00
महायोग			1495879.00

इस प्रपत्र एम तथा एन का सत्यापन कराये बगैर लघु खनिज सामग्री की ढुलाई पर कुल 14.96 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।
उत्तर में बताया गया कि

(1) स्थल की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया गया है।

(2) M.N. सत्यापन की प्रत्याशा में खननकर की कटौती कर ली गई है।

जवाब संतोषजनक नहीं है। नगर पंचायत बहादुरगंज द्वारा आई एस डी पी अन्तर्गत कराये गये कार्य की लम्बाई का साक्ष्य एवं संवेदक से एम एन फार्म प्राप्त कर लेखा परीक्षा को सूचित किया जाय।

कंडिका–5

बहादुरगंज अस्पताल के पीछे चहारदिवारी एवं पार्क निर्माण कार्य की समीक्षा

योजना का नाम	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना
एकरारनामा संख्या	08- F2./2016-17
एकरारनामा की तिथि	28.05.2016
एकरारनामा की राशि	₹ 38,17,415 परिमाण विपत्र से 10.00 प्रतिशत कम पर
कार्य आरम्भ की तिथि	28.05.2016
कार्य समाप्ति की तिथि	27.08.2016 (3 माह)
संवेदक का नाम	M/s Rajesh Roshan Kumar, Dharmganj, Kishanganj
अद्यतन भुगतान	मापी पुस्त संख्या 91 पृष्ठ संख्या–14 / 16 रू 36,42,862.00

(1) Time extension की कटौती नहीं किया जाना ₹ 3.82 लाख

F–2 एकरारनामा के क्लाउज 2 के अनुसार संवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नही किये जाने की स्थिति में एकरारित राशि का 1/2 प्रतिशत (आधा) प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत तक Time Extension मद में कटौती किये जाने का प्रावधान है।

F–2 एकरारनामा के क्लाउज 7 के अनुसार संवेदक को प्रत्येक माह में कार्य स्थल पर सम्पन्न किये गये सम्पूर्ण कार्य का विपत्र प्रस्तुत करना है।

एकरारनामा संख्या 08F2/16–17 से संबंधित उक्त कार्य को दिनांक 27.08.2016 तक पूरा करना था। नमूना जांच में पाया गया कि Record Entry (M.B. 91 -P/31) में कार्य को कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 27.08.2016 से एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक 26.08.2016 को पूर्ण दिखाया गया जबकि Abstract of Cost (M.B. 91 -P/06) में रू0. 21,19,852.00 मात्र का भुगतान के लिए प्रथम चलन्त बिल दिनांक 15.02.2017 को तैयार किया गया तथा उसी के अनुसार भुगतान भी किया गया।

लेखापरीक्षा को स्पष्ट किया जाय कि जब कार्य को दिनांक 26.08.2016 को पूर्ण कर दिया गया था तब कार्य समाप्ति के 5 माह बाद दिनांक 15.02.2017 Abstract of Cost को पूर्ण रूप से क्यों नहीं बनाया गया ? इससे स्पष्ट होता है कि कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया गया एवं नियमानुसार समयवृद्धि मद में कोई कटौती नहीं कर संवेदक को ₹ 3,81,742.00 का अदेय सहायता प्रदान किया गया।

(2) अवमानक कार्य ₹ 0.09 लाख

उपरोक्त योजना से संबंधित अभिलेखों के नमूना जांच के क्रम में पाया गया कि परिमाण विपत्र के अनुसार आवंटित कार्य में 7531.00 रू0. मूल्य का आयटम सं 30 Providing B/W (1:4) in foundation 1.8 M3 तथा रू0. 1633.00 मूल्य के आयटम संख्या 31 Providing 12 mm thick (1:4) cement plaster 16.28 वर्गमीटर में नहीं किया गया। आगे स्टोन चिप्स का मात्र 189.46 घनमीटर का उठाव किया गया जो निर्धारित मात्रा 205.90 घनमीटर से 16.44 घनमीटर कम था इसी प्रकार सिमेंन्ट की निर्धारित मात्रा 107. 25 MT से 1.3 MT कम था इस प्रकार सामग्री के कम उठाव से कार्य के अवमानक होने से इनकार नहीं किया जा सकता।

(3) ढुलाई पर अनियमित भुगतान ₹ 5.41 लाख

बिहार लघु खनिज समुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के प्रावधानानुसार अवैध खनन को रोकने हेतु एवं लघु खनिज के ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु संवेदकों से प्रपत्र एम तथा एन तथा चालान की प्रति लिया जाता है। चालानों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही ढुलाई मद मे भुगतान किया जाना है।

अभिकरण कार्यालय द्वारा सरकार के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए संवेदक से प्रपत्र एम तथा एन एवं चालान की प्रति लिये बगैर सत्यापन कराये सिर्फ रॉयल्टी की कटौती कर विपत्रों का भुगतान कर दिया गया। इससे खनिजों की ढुलाई प्राक्कलन में प्रावधानित खदानों/स्थलों से ही किया गया है। इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसका अनुपालन नहीं किये जाने से अवैध खनन को बढ़ावा दिये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ढुलाई मद में किया गया भुगतान अनियमित है। विवरण इस प्रकार है:–

समाग्री	मात्रा	ढुलाई दर	राशि (रू0)
स्टोन चिप्स	189.46 M3	2024.02 M3	383471.00
कोर्स बालू	176.09 M3	810.26 M3	142679.00
ईट	130973 Nos	555.10 per thousand	72703.00
लोकल बालू	14.41 M3	194.36	2800.00
योग			601653.00
10 प्रतिशत कम			60165
महायोग			541488.00

इस प्रकार प्रपत्र एम तथा एन का सत्यापन कराये बगैर लघु खनिज सामग्री की ढुलाई पर कुल ₹ 5.41 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।

जवाब में बताया गया कि कार्य वास्तव में 26.08.2016 को ही पूर्ण हो गया था परन्तु Quality control Report, M/N form संवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने की प्रत्याशा में Abstrct of cost को अंकित नहीं किया गया था। कार्य को विशिष्टियों के अनुसार ही कार्य कराया गया है तदनुसार भुगतान कराया गया है। एम. एन. की प्रत्याशा में Royality काट ली गयी है। उत्तर मान्य नहीं है नियमानुसार पूर्ण कराये गये समस्त कार्य की मापी, मापी पुस्त में शीघ्र दर्ज की जानी चाहिये तथा उसी के अनुसार भुगतान अंकित किया जाना चाहिये।

कंडिका–6

किशनगंज नगर पालिका वार्ड न0.1 में मुन्ना मुश्ताक के घर से पथार बस्ती होते हुए ठाकुरगंज किशनगंज पी.डब्ल्यू डी रोड तक पी.सी.सी निर्माण कार्य की समीक्षा

योजना का नाम	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना
एकरारनामा संख्या	15- F2./2016-17
एकरारनामा की तिथि	10.08.2016
एकरारनामा की राशि	₹24,20,784.00 परिमाण विपत्र से 10.00 प्रतिशत कम पर
कार्य आरम्भ की तिथि	10.08.2016
कार्य समाप्ति की तिथि	09.11.2016 (3 माह)
संवेदक का नाम	M/s Tanweer Ahmed, Near Line Masjid, Kishanganj

Rigid pavement 900 meter length

अद्यतन भुगतान मापी पुस्त संख्या 90 पृष्ठ संख्या–10 रू 24,20,785.00

(1) अनियमित भुगतान ₹ 0.25 लाख

उपरोक्त योजना के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित था कि उक्त सड़क की वर्तमान में चौड़ाई 2.4 मीटर है जिसके चौड़ीकरण हेतु प्राक्कलन के आयॅटम संख्या 1 एवं 2 के अनुसार दोनो तरफ (Side) 300 mm अर्थात 300 mm X 2 = 600 mm में मिट्टी की खुदाई कर G.S.B. का कार्य कराया गया। उक्त प्रकार से G.S.B. का कार्य कराये जाने के बाद उस पर शेष कार्य हेतू सड़क की कुल चौड़ाई 2400 mm + 600 mm = 3000 mm अर्थात 3.00 मीटर ही प्राप्त होती है परन्तु उस पर 3.05 मीटर (3050 mm) चौड़ाई में पी.सी. सी. का कार्य कराया गया।

अतः गणना के अनुसार (ल0 X चौ0 X मोटाई = कुल घनमीटर X दर प्रति घनमीटर = कुल व्यय)

900 meter X 0.050 m X 0.150 m = 6.75 M3 X @ 3741.30 M3 =25253.77 का व्यय अनियमित था।

(2) ढुलाई पर अनियमित भुगतान रू0 8.01 लाख

बिहार लघु खनिज समुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के प्रावधानानुसार अवैध खनन को रोकने हेतु एवं लघु खनिज के ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु संवेदको से प्रपत्र एम तथा एन तथा चालान की प्रति लिया जाता है। चालानों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही ढुलाई मद मे भुगतान किया जाना है।

अभिकरण कार्यालय द्वारा सरकार के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए संवेदक से प्रपत्र एम/एन एवं चालान की प्रति लिए बगैर सिर्फ रॉयल्टी की कटौती कर विपत्रों का भुगतान कर दिया गया। इससे खनिजों की ढुलाई प्राक्कलन में प्रावधानित खदानों/स्थलों से ही किया गया है। इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसका अनुपालन नहीं किये जाने से अवैध खनन को बढ़ावा दिये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ढुलाई मद में किया गया भुगतान अनियमित है। विवरण इस प्रकार है:–

समाग्री	मात्रा	ढुलाई दर	राशि (रू0)
स्टोन चिप्स	467.31 m^3	1620.82 / m^3	757425.00
कोर्स बालू	183.88 m^3	723.60 / m^3	133056.00
योग			890481.00
10 प्रतिशत कम			89048.00
महायोग			801433.00

इस प्रकार प्रपत्र एम तथा एन का सत्यापन कराये बगैर लघु खनिज सामग्री की ढुलाई पर कुल ₹ 8.01 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।

(3) विनिष्टीकरण के दौरान प्राप्त सामग्री का उपयोग नहीं

As per I R C All the excavated materials shall be the property of the Employer. The material obtained from the excavation of roadway, shoulders, verges, drains, cross-drainage works etc., shall be used for filling up of (i) roadway embankment, (ii) the existing pits in the right-of way and (iii) for landscaping of the road as directed by the Engineer, including levelling and spreading with all lifts and lead upto 1000 meter and no extra payment shall be made for the same.

उक्त योजना के नमूना जांच के क्रम में पाया गया कि सड़क के चौड़ीकरण के क्रम मे 900 मीटर लम्बाई में दोनों तरफ 81 घनमीटर मिट्टी की खुदाई की गयी थी तथा पी.सी.सी. निर्माण के पश्चात 900 मीटर लम्बाई में पथ के दोनो तरफ 126.00 घनमीटर में पथ के किनारे को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए मिट्टी की खरीद कर embankment का निर्माण कराया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा पृच्छा किया गया कि कि खुदाई से प्राप्त **excavated materials** का क्या किया गया एवं **embankment** के निर्माण में उनका उपयोग क्यो नही किया गया ? जबकि भारतीय सड़क कांग्रेस नियमावली में **excavated materials** के उपयोग के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया है।
उत्तर में बताया गया कि
(1) जांचोपरान्त कृत कार्रवाई से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जांएगा मात्रा में कोई अन्तर नहीं है। (उक्त प्राक्कलन एवं मापी पुस्त में दर्ज मात्रा में कोई अन्तर नही है) अर्थात प्राक्कलन के अनुसार कार्य कराया गया है।
(2) एम/एन सत्यापन की प्रत्याशा में खनन कर की कटौती कर ली गयी है।

जवाब के अनुरुप कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका–7

बहादुरगंज नगर पंचायत अर्न्तगत सताल मदरसा से हसीफ के घर तक पी.सी.सी सड़क निर्माण कार्य की समीक्षा

योजना का नाम	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना
एकरारनामा संख्या	09- F2./2015-16
एकरारनामा की तिथि	16.06.2015
एकरारनामा की राशि	₹ 25,83,576.00 परिमाण विपत्र से 10.00 प्रतिशत कम पर
कार्य आरम्भ की तिथि	04.06.2015
कार्य समाप्ति की तिथि	03.09.2015 (3 माह)
संवेदक का नाम	M/s Ravish Ranjan, Rollbagh, Kishanganj
Rigid pavement	490 meter length
अद्यतन भुगतान	मापी पुस्त संख्या 53 पृष्ठ संख्या–20/21 रू 25,84,703.00

अधिक भुगतान राशि रू0. 20,580.00

उपरोक्त योजना से संबंधित अभिलेख एवं मापी पुस्त के नमूना जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य के लिए संवेदक श्री रवीश रंजन से परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत कम अर्थात ₹ 25,83,576 पर दिनांक 16.06.2015 को एकरारनामा किया गया जिस पर संवेदक ने 10 प्रतिशत कटौती सहित ₹ 25,64,123 का कार्य किया परन्तु पाया गया कि संवेदक को कुल कटौतियों सहित ₹ 25,84,703.00 का भुगतान किया गया। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम	कटौति का मद	प्रथम चलन्त बिल मापी पुस्त पृष्ठ–5	द्वितीय चलन्त बिल मापी पुस्त पृष्ठ–16	तृतीय चलन्त बिल मापी पुस्त पृष्ठ–20/21	कुल
1	S.D. 5%	68499.00	6871.00	51559.00	126929.00
2	S.T. 5%	68499.00	6871.00	51559.00	126929.00
3	I.T. 1%	13700.00	1374.00	10312.00	25386.00
4	L.CESS 1%	13700.00	1374.00	10312.00	25386.00
5	ROYALITY	35741.00	5000.00	51252.00	91993.00
6	Q.C. (Keep Back)	27400.00	00.00	00.00	27400.00
7	Cheque Payment	1142447.00	115924.00	902309.00	2160680.00
	Gr.Total	**1369986.00**	**137414.00**	**1077303.00**	**2584703.00**

उपरोक्त विवरण के अनुसार संवेदक को कुल कटौतियो सहित ₹ 25,84,703.00 का भुगतान किया गया जबकि संवेदक द्वारा कुल ₹ 25,64,123.00 मात्र का कार्य किया गया था। इस प्रकार संवेदक को उसके द्वारा कृत कार्य से ₹ 20,580.00 का अधिक का भुगतान किया गया।

आगे नमूना जांच में पाया गया कि संवेदक से दिनांक 16.06.2015 को एकरारनामा से 10 प्रतिशत कम पर रू0. 25,83,576.00 का एकरारनामा किया गया परन्तु जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण के पत्रांक 68 दिनांक 21.03.2016 द्वारा प्रेषित आवंटन आदेश के कम संख्या 10 पर एकरारित राशि रू0. 25,38,576.00 ही दर्ज थी एवं उसी के अनुसार जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा राशि विमुक्त की गयी जो मूल एकरारित राशि से ₹ 45000.00 कम थी।

इस प्रकार पाया गया कि कुल आवंटित राशि रू. 25,38,576.00 के विरूद्ध संवेदक को रू. 25,84,703.00 का भुगतान किया गया जो आवंटित राशि से ₹ 46127.00 रू. अधिक था।

उत्तर में बताया गया कि जांचोपरान्त अधिक भुगतान की वसूली संवेदक से करने के उपरांत लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित कर दिया जाएगा। प्रकरण में अभी अंतिम भुगतान नही किया गया है संवेदक की सुरक्षित राशि भी कार्यालय में जमा है जिससे कटौती कर ली जाएगी ।

जवाब के अनुरुप कार्रवाई करते हुए लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।